

प्रेषक,

एच0पी0 सिंह
विशेष सचिव
3090 शासना

सेवा में,

निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
3090, लखनऊ।

नगरीय योजनाएं एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

लखनऊ : दिनांक 19 जनवरी, 2015

विषय वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-37 में शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में इण्टरलाकिंग, जल निकासी, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनांतर्गत जनपद-बाराबंकी की 05 परियोजनाओं की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1822/11/10/CS/बाराबंकी/2013-14, दिनांक 31 जुलाई, 2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में इण्टरलाकिंग, जल निकासी, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत जनपद-बाराबंकी की न040 फतेहपुर की विभिन्न अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में इण्टरलाकिंग सड़क, नाली निर्माण कार्य से सम्बन्धित अलग-अलग 05 परियोजनाओं हेतु रु0 265.39 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित, उक्त के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अर्थात् सलग्न तालिका के स्तम्भ-6 में अंकित धनराशि रु0 132.695 लाख (रुपये एक करोड़ बत्तीस लाख उनहत्तर हजार पाँच सौ मात्र) की, श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्त/प्रतिबन्धों के अधीन सहय स्वीकृति प्रदान करते हैं:-


1. उक्त धनराशि प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों विषयक शासनादेश संख्या 32969/11/14(31)/2012टीसी, दिनांक 16 जनवरी, 2013 में दिए गये दिशा-निर्देशावल्या का पूर्णतया अनुपालन करते हुए की जायेगी।
2. प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अनुपालन के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार परियोजना पर राक्षम स्तर/सूझ से तकनीकी स्वीकृति संकल्प प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर/सूझ से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
3. उक्त धनराशि शारण द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्त/योजना के प्रतिबन्धों के अनुपालन उपर्युक्तानुसार निहित मद में धन्य की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनांतर्गत कार्य की विविधियाँ, अनाक व गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करते हुए कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायेंगे कि वे उपरोक्त धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जायें तथा उनका लाभ सम्बन्धित स्थानीय निवासियों को मिल सके।

प्रतिनिधि/सहायक निदेशक, लखनऊ


24/1/15

4. उक्त धनराशि यथा समय सम्बन्धित डूडा (निर्माण डूकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। सम्बन्धित डूडा (निर्माण डूकाई) द्वारा प्रस्तुत परियोजना को जिला स्तरीय शारी विभाग से अनुमोदित कराने के उपरांत ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
5. उक्त धनराशि जिस कार्य/गद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/गद में किया जायेगा। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमत्त नहीं होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक/डाकधरा/डिपोजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।
7. उक्त परियोजना की माशर्तों को निर्माण के समय सुनिश्चित पिये जाने का पूर्ण दायित्व कार्यदायी संस्था/सम्बन्धित डूडा का होगा।
8. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्मित शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
9. उक्त धनराशि यथासमय सम्बन्धित डूडा डूकाई (निर्माण डूकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण डूकाई को अवमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त परियोजना/उर्गत स्वीकृत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना से सम्मिलित है, जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत धनराशि तत्काल राजकोष में जमा कराकर शासन को सुचित किया जायेगा।
10. प्रस्तुत परियोजना से सम्बन्धित कार्यों की दायित्व/पुनरावृत्ति न हो, यह सूडा/डूडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
11. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 3090, लखनऊ द्वारा सचिव/प्रमुख सचिव तथा विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।
12. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
13. इस धनराशि का उपयोग धानू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपयोजित प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।
14. सेन्टेज चार्ज (अधिष्ठान व्यय) की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2 23/द-स-2011-17(4)/75, दिनांक 25.01.2011 में जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के क्रम में सुसंगत लेखा शीर्ष में जमा किया जायेगा।
15. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2016 तक व्यय हो सके।


2. सर्वप्रथम स्वयं चालू दिनांक वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-17 में योजनावद्धित परतयित बजट में आदेश क्रमांक 11/2015/2082(1)/6-1-15 अर्थात् विकास आयोजनागत 04 अर्दी बरितियों का विकास-051 निर्माण 03 मालिक बरितियों तथा अल्पमूल्यक वास्तुय बरितियों में सी0सी0 रोड/इण्टरलाकिंग तथा नाला आदि का निर्माण 00-35 पूंजीगत परिसर/परितियों के शुरुआत हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।
 3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय जाण संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30.03.2015 तथा समस्त समस्त पर प्राप्त निर्देशों के तहत जारी किये जा रहे हैं।
- संलग्नक संशोधित।

अर्दीय,

 (एच0पी0 सिंह)
 विशेष सचिव।

संख्या- 16/ /2015/2082(1)/6-1-15, दिनांक।

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-


1. महासेवाकार (लेखा एवं हकदारों), प्रथम/द्वितीय, 30प्र0, 20 सरौजनी नाचडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. महासेवाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, 30प्र0, इलाहाबाद।
3. निदेशक, स्थायी निधि लेखा परीक्षा विभाग, 30प्र0, छद्मवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
4. सचिव, नगरीय रोजगार एवं नरोवी अनुमूलन कार्यक्रम विभाग, 30प्र0 शासन।
5. जिभाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, बाराबंकी।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3, 30प्र0 शासन।
7. नियोजन अनुभाग-4, 30प्र0 शासन।
8. मुख्य कौशलधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र0, लखनऊ।
10. सहायक वेब मास्टर, सूत्र को विभागीय वेब साइट पर अपलोड कराने हेतु।
11. आई एम/कंप्यूटर सहायक/वेब सहायक।

आशा से,

 (एच0पी0 सिंह)
 विशेष सचिव।

शासनद्वारा संख्या- 767 / 2015/2088(1)/69 1-15 56(ग0सं0-37)/2015, दिनांक 10 अगस्त, 2015 का गलतफर्का।

(राजराशे लाख में)					
क्र0 सं0	उपग्राम का नाम	विकास/ नगर पंचायत का नाम।	बस्ती/विड का नाम/कार्य का विवरण।	परियोजना की कुल लागत।	प्रथम किस्ता (50 प्रतिशत) के रूप में स्वीकृत योग्य धनराशि।
1	2	3	4	5	6
1.	बागइनि	न040 फतेहपुर	मो0 बालापर दक्षिणी-04 में फतेहपुर बागइनी रोड से मुस्ताफिर खाना होने हुये कोल्डू टेकी तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	28.76	14.38
2.	तदैव	तदैव	मो0 पंचधारा-2 में महादेव लाजय रोड होते हुये इमली से बबला रोड तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	98.04	49.02
3.	तदैव	तदैव	मो0 काजीपुरा में फतेहपुर रामगगर रोड से छोदे गयास होते हुये राजवहा माइनर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	56.70	28.35
4.	तदैव	तदैव	मो0 काजीपुरा-3 में सहबतिया बाद गेट से कब्रिस्तान के अन्दर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	19.96	9.98
5.	तदैव	तदैव	मो0 कैलाजपुरा में अल्लर मामा के मकान के निकट इण्टरलाकिंग रोड से पुतिया तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	61.93	30.965
योग				265.39	132.695

(रुपये एक करोड़ बत्तीस लाख उनहत्तर हजार पाँच सौ मात्र)।


 (एच0पी0 सिंह)
 विशेष सचिव।